SHRI S. M. BANERJEE : We are members of the Advisory Committee. Why did the Governor not consult the Advisory Committee ? The Governor sent a letter ; he did not consult us.

MR. SPEAKER : My only objection is that the points of call-attention which were given in the morning are being raised on the floor of the House. I get a number of call-attention nowadays because some States are under President's rule. Whatever happened in Bengal, some small Police entered somewhere, I get a call-attention... (*Interruptions*).

SHRI JYOTIRMOY BASU : It is not a small village. Six villages have been revaged.

MR. SPEAKER : Because there is President's rule in a number of States, small questions which could have been asked in the Assembly are being asked in Parliament...

SHRI S. M. BANERJEE : Is this small ?

MR. SPEAKER : I am not talking of communal troubles. I am talking of some police accident somewhere, some accident somewhere ; I am not talking of this thing or that thing...

SHRI S. M. BANERJEE : The Corporation elections have been postponed in Allahabad because of the communal trouble. Yet the Home Minister does not make a statement.

MR. SPEAKER : Mr. Morarji Desai.

12.35 hrs.

PUBLIC PROVIDENT FUND BILL*

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the institution of a provident fund for the general public.

SHRI GEORGE FERNANDES (Bombay South) *rose*—

MR. SPEAKER : Normally at the introduction stage we do not allow any discussion. But since the hon. Member has written to me, I am obliged to call him.

श्री जार्ज फरनैन्डीज : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां इस विधेयक के पेश करने का विरोध कर रहा हूँ । इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि यह विधेयक लोगों को गुमराह करने वाला है । आपने देखा होगा कि इस का नाम है "पब्लिक प्राविडेंट फ़ंड बिल" । अब प्राविडेंट फ़ंड का एक ठोस मतलब होता है । आज इम्प्लायीज प्राविडेंट फ़ंड के हिन्दुस्तान में होने के कारण आम लोगों के मन में बैठा हुआ है कि प्राविडेंट फंड का यह मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति प्राविडेंट फंड स्कीम का सदस्य है, वह जो भी रकम भरेगा उतनी ही रकम जो उसका मालिक है, चाहे वह निजी श्रेत्र का मालिक हो या सरकारी क्षेत्र का मालिक हो, देता रहता है । जब यहां पर पब्लिक प्राविडेंट फंड बिल पेश किया जाएगा और जब आगे चलकर यह कानून बनेगा तब आम लोगों के मन में यह भावना रहेगी कि जैसे अलग-अलग उद्योग धन्धों में प्राविडेंट फंड का इन्तजाम होता है उसी किस्म का नया इन्तजाम हिन्दुस्तान के तमाम लोगों के लिए किया जाने वाला है । अगर आप इस बिल को देखेंगे तो इसमें ऐसा कोई इन्तजाम नहीं किया गया है । इसमें यह किया गया है कि हिन्दुस्तान का कोई भी नागरिक खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए, अपने किसी भी वारिस के लिए एक नया अकाउंट सरकार के पास खोल सकता है, जैसे कि आज पोस्टल सेविंग्स में या दूसरे किसी बैंक में या स्टेट बैंक में जाकर वह अपना अकाउंट खोल सकता है । सरकार की ओर से या किसी भी संस्था की ओर से जितनी रकम कोई आदमी भरेगा उतनी ही रकम देने का

* Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 18.4.68.

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

कोई इन्तजाम नहीं है इस बिल के अन्दर। सरकार उसे केवल ब्याज देगी जैसे कि आज किसी भी सेविंग बैंक अकाउंट में ब्याज देने की व्यवस्था जारी है। चूंकि यह नया कानून लोगों को गुमराह करने की परिस्थिति का निर्माण करता है इसलिए मैं समझता हूं कि इस कानून का सख्त विरोध यहां होना चाहिए। आप लोग ठोस रूप में इसके बारे में सोच नहीं पायेंगे।

मुझे पता लगा है कि जो पोस्टल सेविंग्स अकाउंट है उनमें आज लाखों अकाउंट ऐसे हैं हैं जिनमें करोड़ों रुपया पड़ा है और उस अकाउंट का ब्याज लेने वाला भी व्यक्ति कोई नहीं रहा है क्योंकि कई लोग तो मर चुके हैं, किस को अकाउंट बतलाया जाये इसका पता ही नहीं है। यह जो कानून मंत्री महोदय यहां पेश कर रहे हैं उस में पहले पांच साल तक कोई भी भरी हुई रकम को निकाल नहीं सकेगा और अकाउंट रखने वाला पन्द्रह साल तक उस अकाउंट को बन्द नहीं कर सकेगा। बीच में अगर कोई चाहे तो खुद के पैसे से सरकार को ब्याज देकर कर्ज ले सकेगा। ऐसी स्थिति में यह कानून पब्लिक सेविंग्स फंड कानून बन सकता है। जिस तरह आम लोग किसी बैंक में जाकर अपना पैसा रख सकते हैं या किसी और जगह रख सकते हैं उसी ढंग से वित्त मंत्री महोदय एक दूसरा खाता खोलना चाहते हैं। वे इस बिल में स्टेट बैंक में नया अकाउंट खोलने का काम कर सकते थे। मैं इस लिए इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि अगर इस तरह से करना ही है तो एक पब्लिक सेविंग्स फंड के नाम से या किसी दूसरे नाम से यहां पर विधेयक लाने का काम किया जाय न कि पब्लिक प्राविडेंट फंड बिल लाया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस बिल को प्राविडेंट फंड बिल कहेंगे तो आम लोगों में इस बात की गलतफहमी हो जायेगी, वह गुमराह हो जायेंगे और यह सोचने लगेंगे कि उनके लिए भी एक प्राविडेंट फंड बन रहा है और अगर हम इसमें 10 रु० दें तो सरकार भी 10 रु० देगी। इस तरह की गलतफहमी में डूब जाने से लोग फंस जायेंगे और उनका पैसा डूब जायेगा।

चूंकि हम नहीं चाहते हैं कि सेविंग्स फंड कायम करने के लिए यहां प्राविडेंट फंड का कानून लाया जाय और सारे देश को गुमराह करने वाली बात हो जाय, इसलिए मैं इस बिल के पेश करने का विरोध करता हूं। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस को वापस ले लें और दूसरा बिल लेकर सदन के सामने आयें।

MR. SPEAKER : The question is :

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Under the rule, when an objection is raised by a particular Member, the Minister has to say something.

श्री मोरारजी देसाई : मुझे जवाब देने में कोई इन्कार नहीं है।

माननीय सभासद् ने विरोध क्यों किया यह मेरी समझ में नहीं आया है। एक बात उनकी मेरी समझ में आ सकती है। उनका विरोध यह है कि यह जो नाम इन बिल को दिया गया है। पब्लिक प्राविडेंट फंड, इसको बदला जाना चाहिए। लेकिन विरोध करने से नाम नहीं बदल जायेगा। जब बिल यहां आएगा और उसके ऊपर चर्चा होगा तो इस नाम को बदलने के लिए जरूर माननीय सदस्य संशोधन पेश कर सकते हैं और ऐसा करने से कोई उनको रोकता नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि प्राविडेंट फंड में हमेशा कांट्रीब्यूशन किया जाता है मालिक की तरफ से यह भी सही बात है कि मालिक की तरफ से कांट्रीब्यूट किया जाता है लेकिन सब जगह नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए भी प्राविडेंट फंड है लेकिन वहां सरकार कांट्रीब्यूट नहीं करती है.....

SHRI S. M. BANERJEE : If it is so, he should mention that it is a non-contri-

butory fund. Otherwise, the term 'Provident Fund' means that it is contributory.

श्री मोरारजी देसाई : यह भी नान-कांट्रीब्यूटरी है। लेकिन इस वक्त यह सवाल यहां उपस्थित नहीं होता है। जब बिल चर्चा के लिए आए तब जरूर आप इस पर चर्चा कर सकते हैं और तब इसके बारे में सोचा जाएगा।

MR. SPEAKER : When we discuss the Bill, naturally these aspects also could be discussed. Now, we are only at the stage of leave being granted to introduce the Bill.

The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the institution of a provident fund for the general public."

The motion was adopted.

SHRI MORARJI DESAI : I introduce† of the Bill.

SHRI S. M. BANERJEE : Let them have 'Provident' and we will have the fund.

———

12.43 hrs.

MOTION RE : REPORT OF U.P. GOVERNOR TO PRESIDENT ON ISSUE OF PROCLAMATION

AND

RESOLUTION RE : PROCLAMATION BY PRESIDENT IN RELATION TO UTTAR PRADESH

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा खेद व्यक्त करती है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई दिनांक 10 अप्रैल, 1968 की रिपोर्ट को अस्वीकार नहीं किया जिसमें राज्य विधान सभा को विघटित करने और राज्य में मध्यावधि चुनाव करने के लिए उद्घोषणा, जो 16 अप्रैल, 1968 की सभा पटल पर रखी गई थी, जारी करने की सिफारिश की गई थी, चूंकि राज्य विधान सभा में संयुक्त विधायक दल को बहुमत प्राप्त था और उसके नेता को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया जाना चाहिए था।"

दोनों प्रस्तावों पर एक साथ विचार होना है तो वह भी मूव कर दें और मेरा भाषण बाद में हो।

MR. SPEAKER : The Home Minister may move his resolution...

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : I shall move the resolution first.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I think there is no separate discussion on the motion and the resolution.

SHRI Y. B. CHAVAN : I shall formally move the resolution. I shall move it but speak later on. Let him have his say now.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : May I submit that there is a mistake in the Order Paper ? First, the resolution should have been put in and then only this motion. But the two have appeared in the reverse order.

MR. SPEAKER : Shri A. B. Vajpayee is prepared to speak now on his motion. So, let not the hon. Member worry about it. Afterwards, the Home Minister will move his resolution.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, एक ओर, प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो गई और हम यहां शव परीक्षा के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक ओर गैर-कांग्रेसी सरकार केन्द्र की कुटिलता और कुचक्र का शिकार बना दी गई है और आज हम उसके उपर अपना रोष व्यक्त करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, गत बारह महीनों में यह चौथा अवसर है जब कि संविधान के अनुच्छेद

† Introduced with the recommendation of the President.